

कोर निवेश कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / जारी रखने के लिए आवेदन पत्र का फार्म

पंजीकृत कंपनी का नाम तथा पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
--	--

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा / दस्ती सेवा में,

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक* गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय
(स्थान)

महोदय/ महोदया,

कोर निवेश कंपनी का कारोबार प्रारंभ करने / जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र.

हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45-झक के उपधारा (2) में अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं. अनुदेशानुसार अपेक्षित दस्तावेज / सूचना प्रस्तुत है.

हम कोर निवेश कंपनी का कारोबार प्रारंभ करने/ जारी रखने* के इच्छुक हैं. अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45-झक के उपधारा (2) के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ताकि हमारी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (कोर निवेश कंपनी) का कारोबार प्रारंभ कर सके / जारी* रख सके.

हम घोषणा करते हैं कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार संलग्नक विवरणों/ अनुबंधों में दी गई सूचना सत्य / सही एवं पूर्ण है.

भवदीय/ भवदीया,

आवेदक के लिए / आवेदक की ओर से
आवेदक का नाम

दिनांक		हस्ताक्षर	
स्थान		नाम	
कंपनी का मुहर		पदनाम	

संलग्न.....पन्ने.

*जो लागू न हो उसे काट दें.

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनुलग्न किए जाएं.

1. पहचान संबंधी ब्योरा (अनुबंध-I)
2. विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी विवरण (अनुबंध-II)
3. प्रबंधन संबंधी सूचना (अनुबंध - III).
4. कंपनी के ज्ञापन और अंतर्नियमों की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां.
5. कंपनी के गठन का प्रमाणपत्र एवं कारोबार प्रारंभ करने के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां.
6. निदेशक बोर्ड का संकल्प जिसमें आवेदन करने एवं तत्संबंधी सामग्री के प्रतुतीकरण हेतु विशेषरूप से मंजूरी दी गयी हो.
7. कंपनी (जो पहले से अस्तित्व में हो) की पिछले 3 वर्षों या जिस अवधि के लाभ - हानी लेखे एवं लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध हो उनकी एक- एक प्रति.
8. आगामी वर्षों के लिए कंपनी के कारोबार की योजना जिसमें (क) बाजार घटक (सेगमेंट) और (ख) निवेश तथा आय प्रक्षेपण का ब्योरा दिया गया हो.
9. पहले से मौजूद कंपनी जिसकी निवल समायोजित मालियत के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी अनुपात , आवेदन की तारीख से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के इसके कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन पत्र से इतर मदों में समायोजित निवल मालियत के मूल्य से 30% से कम नहीं हो तथा आवेदन की तारीख से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार लेवरेज अनुपात, इसकी बाह्य अतिदेयता इसकी समायोजित निवल मालियत के, 2.5 गुणा से अधिक न हो. कृपया समयाधारित कार्ययोजना का उल्लेख करें कि इन आवश्यकताओं को कैसे प्राप्त किया जाएगा.
10. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशिया नहीं स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी बनने हेतु जो कंपनी प्रस्तावित हो किंतु निवेश के अंतर्गत 90% निवल परिसंपत्ति के नियम में सफल नहीं होती हो , वे समयाधारित कार्ययोजना दे सकते हैं कि वे कैसे इसमें सफल होंगे.

अनुदेश

(कृपया आवेदन को निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार ही भरें)

सामान्य

- (1) केवल निर्धारित फार्म में ही आवेदन किया जाएं. जहां स्थान की कमी हो वहां उसे अलग से अतिरिक्त पन्नों में प्रस्तुत किया जाए.
- (2) आवेदन पत्र संलग्नकों सहित, जो सम्यक रूप से पूर्ण हों, दो प्रतियों में भारतीय रिजर्व बैंक, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएं जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है.
- (3) प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की फोटो प्रति कंपनी अभिलेख हेतु अपने पास रखें .
- (4) निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए गए अग्रलिखित अधिकारियों (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव, पूर्णकालिक निदेशक या अन्य अधिकारी) में से किसी एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.
- (5) आवेदन पर कंपनी का सामान्य मुहर (common seal) लगी होनी चाहिए.
- (6) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पावती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जाए.

(7) आवेदन पत्र के अनुबंध II के ब्योरे /की सूचना अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र में प्रकट किए गए आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए/ होनी चाहिए. तथापि, अगर कोई कंपनी 31 मार्च के बाद गठित हुई हो तो ये ब्योरे / यह सूचना कंपनी के उस तुलन पत्र पर आधारित होने चाहिए/ होनी चाहिए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से तीस दिन के भीतर का हो.

अनुबंध I

(8) यदि कंपनी ने अपने नाम में पहले बदलाव किए हों तो पहले बदले गए सभी नामों, नाम बदलने की तारीखों तथा ऐसे बदलाव के समय रहे मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्षों के नाम सहित सूची संलग्न की जाए.

(9) यदि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले से पंजीकृत है तो पंजीकरण की सूचना देने वाले मूल पत्र को संलग्न किया जाए.

(10) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में कंपनी को यदि कोई सूचना दी गई हो कि कोर निवेश कंपनी के आधार पर उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है तो पत्र की मूल प्रति संलग्न की जाए.

(11) यदि कंपनी ने जमाराशियों की अदायगी एवं ब्याज के समय पर भुगतान में कभी चूक की हो तो ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची एवं प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई की सूची संलग्न की जाए. कंपनी न्यायलयों में अपने खिलाफ लंबित सभी मुकदमों की सूची संलग्न करे जिसमें जमाराशियां स्वीकारने की उसकी गतिविधियों से संबंधित उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले भी शामिल हों.

अनुबंध II

(12) अनुबंध II भरने के लिए कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए "आय निर्धारण, लेखांकन मानक, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट / निवेश संकेंद्रन आदि से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों का अवलोकन करें.

(13) अनुबंध II की विषय वस्तु (आंकड़े) सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए.

अनुबंध III

(14) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति- पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों / फर्म की पूंजी में लाभ भोगी हित धारिता जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है.

पहचान संबंधी ब्योरा

कंपनी कूट (भारिबैं द्वारा भरा जाए)		
1.1	कंपनी का नाम	
1.2	क्या कंपनी ने अपना नाम पहले बदला है (कृपया अनुदेश का क्रमांक 8 देखे)	हां / नहीं
2	गठन की तारीख	
3	कारोबार प्रारंभ करने की तारीख	
4	राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है	
5	कंपनी का पूरा पता	
(i)	पंजीकृत कार्यालय	
	फोन	फैक्स :
	ईमेल ।	
(ii)	कार्पोरेट / प्रशासनिक* कार्यालय	
	फोन	फैक्स :
(iii)	शाखाओं की संख्या	
6	स्टेटस / दर्जा	(क) पब्लिक (ख) प्राइवेट (ग) पब्लिक मानी गई (घ) अन्य (उल्लेख किया जाए)
7	क्या कंपनी तारीख ? से कोर बैंकिंग कंपनी का कारोबार कर रही थी. यदि हां	हां/ नहीं
(i)	तो ऐसे कारोबार प्रारंभ करने की तारीख	
(ii)	भारिबैं द्वारा कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं की सूचना देने वाला पत्र संदर्भ संख्या तथा तारीख	
(iii)	यदि पूर्व में इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गयी है तो पूर्व में इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क क्यों नहीं किया गया , कारण बताये.	
8(i)	आवेदक कंपनी का कुल परिसंपत्ति	
(ii)	ग्रूप में अन्य कोर निवेश कंपनियों का परिसंपत्ति आकार	कंपनी का नाम परिसंपत्ति आकार 1. 2.

(iii)	ग्रूप में अन्य कंपनियां	कंपनी का नाम 1. 2.
9	क्या कंपनी पहले से भारतीय रिजर्व बैंक के पास गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है.	हां/ नहीं
	यदि हां	
(i)	पंजीकरण संख्या	
(ii)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचना देने वाले पत्र की तारीख एवं संख्या	
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया वर्गीकरण	एएफसी/एलसी/आईसी/अन्य
(iv)	क्या कंपनी ने पूर्व में कभी जमा स्वीकार या तारीख को जमा राशि स्वीकार की है	हां/ नहीं
(v)	यदि हां. क्या कंपनी ने मूलधन की अदायगी या ब्याज के भुगतान में कभी चूक की है. [कृपया अनुदेश के मद संख्या (10) को देखें]	
(vi) (क)	क्या ग्रूप कंपनी अन्य विनियामक यथा सेबी, आईआरडीए, एफएमसी द्वारा कंपनी विनियमित है.	हां/ नहीं
(ख)	यदि हां, तो कंपनी का ब्योरा दीजिए.	
	(i) नाम	
	ii) पता	
	iii) कारोबार का स्वरूप	
	iv) विनियामक	
	v) मंजूरी/ प्रमाणपत्र / पंजीकरण संख्या	
(ग)	क्या कंपनी के विरुद्ध विनियामक द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई है/ लंबित है (निंदा, दण्ड न्यायनिर्णय, जांच- पडताल आदि)	
10	सांघिक लेखापरीक्षक का नाम एवं पता	
11.1	बैंकों के नाम व पते	
11.2	क्या कंपनी ने किसी बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण, अग्रिम या ली गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा की अदायगी/ के भुगतान में कोई चूक की है.	हां/ नहीं

11.3	यदि हां तो पूरा विवरण दीजिए यथा बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम, शाखा , ली गई सुविधा का स्वरूप , अधिक तथा चूकगत राशि आदि का ब्योरा दीजिए.	
12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम	

दिनांक		हस्ताक्षर	
स्थान		नाम	
कंपनी मुहर		पदनाम	

.....*(तारीख)	*को पूंजी निधि का विवरण
---------------	-------------------------

भाग क
पूंजी निधि

क्रम	मद का नाम	मद कूट	राशि रूप (रु लाख में)
i	चुकता ईक्विटी पूंजी	111	
ii	मुक्त आरक्षित निधियां (कृपया निम्नलिखित को नोट करें)		
(क)	सामान्य आरक्षित निधि	112	
(ख)	शेयर प्रिमियम	113	
(ग)	पूंजीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में रखी परिसंपत्तियों के विक्रय पर अधिशेष को दर्शाते हों)	114	
(घ)	डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि	115	
(ङ.)	पूंजीगत शोधन आरक्षित निधि	116	
(च)	लाभ हानी खाते में जमा शेष	117	
(छ)	अन्य मुक्त आरक्षित निधि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	118	
iii	कुल (111से118)	110	
iv	हानि का संचित शेष	121	
v	आस्थगित राजस्व व्यय	122	
vi	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	123	
vii	कुल (121 से 123)	120	
viii	स्वाधीकृत निधि (110 - 120)	130	
ix	ईक्विटी शेयर में निवेश (कृपया निचे लिखे नोट 2 को देखें)		
(क)	सहायक कंपनी	141	
(ख)	उसी समूह की कंपनियां	142	
x	लिखतों में किए गए निवेश को अनिवार्यरूप से जारी किए जाने के 10 वर्ष की अवधि के अंदर ईक्विटी में बदल लिया जाए. (लिखत विनिर्दिष्ट करें)	143	
xi	141+142+143 का कुल	144	
xii	डिबेंचरों, बांडो , बकाया ऋणो और अग्रिमों (किराया खरीद तथा पट्टा वित्त सहित) के बही मूल्य और निम्नलिखित के पास रखी जमा राशियां (कृपया निचे लिखे गए नोट (3) को देखें)		
(क)	सहायक कंपनी	145	
(ख)	उसी समूह की कंपनियां	146	
xiii	144+145+146 का कुल	147	

नोट 1: "मुक्त आरक्षित निधियों" में शेयर प्रीमियम खाते, पूंजी और डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि एवं तुलनपत्र में दर्शायी गई कोई अन्य आरक्षित निधि शामिल होगी जो लाभ के विनियोजन से निर्मित की

गई हो किंतु उसमें (क) भावी देनदारियों की अदायगी या परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास या अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए निर्मित आरक्षित निधियां या (ख) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन से निर्मित आरक्षित निधियां शामिल नहीं होगी.

2.पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचर और / या अंशतः परिवर्तनीय डिबेचरों का परिवर्तनीय अंश शेयरों में निवेश की मद में शामिल होगा. निवेश खाते या स्टॉक इन ट्रेड गत निवेश को इस मद में शामिल किया जाएगा

3. निवेश खाते में या स्टॉक इन ट्रेड की मार्फत रखे डिबेंचरों को इस मद में शामिल किया जाए. अपरिवर्तनीय डिबेंचर, अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश एवं विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर भी इस मद में शामिल किए जाएंगे.

भाग ख

निवल परिसंपत्ति

क्रम	मद का नाम	मद कूट	राशि रूपर (रू लाख में)
	निम्नलिखत में निवेश:		
(क)	ग्रूप कंपनियों के ईक्विटी शेयर में	251	
(ख)	ग्रूप कंपनियों के प्रिफरेंश शेयर	252	
(ग)	ग्रूप कंपनियों के डिबेंचर	253	
(घ)	ग्रूप कंपनियों को ऋण	254	
(ड.)	अन्य (उल्लेख किया जाए)	255	
(च)	अचल परिसंपत्तियां	256	
(छ)	अन्य परिसंपत्तियां	257	
(ज)	निवल परिसंपत्तियां	260	

नोट 1: निवल परिसंपत्तियों में नकद तथा बैंक जमाशेष शामिल नहीं है, पूंजी बाजार लिखत , पूंजी बाजार माईक्रो फाईनेंस, करों का अग्रिम भुगतान तथा डिफर्ड कर भुगतान में निवेश.

भाग ग

वाह्य देयताओं का विवरण

क्रम	मद का नाम	मद कूट	राशि रूपया (रू लाख में)
(i)	बैंक से ऋण तथा अग्रिम	261	
(ii)	सीपी	262	
(iii)	एनसीडी	263	
(iv)	आईसीडी	264	
(v)	अन्य (कृपया विनिर्दष्ट करें)	265	

कुल बाह्य देयता (261 से 265)	270	
-------------------------------	-----	--

नोट: कुल बाह्य देयता (धन/Plus) भुगतान किए गए पूंजी तथा आरक्षित निधि तथा अधिक निधि का मिलान तुलनपत्र के कुल के साथ होना चाहिए.

भाग घ

समायोजित निवल मालियत (कृपया निचे लिखे नोट का अवलोकन करें)

i	स्वामित्व निधि (=भाग क का मद कूट 130)	371	
ii	अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के दिनांक से बुक मूल्य में कोटेड निवेश का 50% गैरभुगतान मूल्यवृद्धि	372	
iii	अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के दिनांक से ईक्विटी शेयर पूंजी में यदि कोई बढ़ोतरी हुई हो तो .	373	
iv	कुल (371 से 374)	380	
v	कोट किए निवेश के कुल बही मूल्य में कमी	381	
vi	अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के दिनांक से ईक्विटी शेयर पूंजी में यदि कोई घटोतरी हुई हो तो .	382	
vii	समायोजित निवल मूल्य (= 380-381-382)	390	

नोट : उक्त की गणना करने के लिए,

(क) स्वामित्व निधि की परिभाषा , गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (जमाराशियां नहीं स्वीकार करने या होल्डकरने वाली) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 में दिया गया है तथा

(ख) कोटेड निवेश के बही मूल्य में गैरभुगतान मूल्य की गणना, ऐसे निवेशों के बुक मूल्य के साथ किया जाए जो समग्र बाजार मूल्य से अधिक न हो. तथा

(ग) घटोतरी की गणना ऐसे निवेश के कुल बाजार मूल्य के उपर ऐसे निवेशों के अधिक बही मूल्य पर किया जाए.

भाग - ड.

भार जोखिम परिसंपत्तियां - तुलन पत्र में दी गई मर्दे तथा तुलन पत्र से इतर मर्दे

(क) तुलनपत्र की मदें

क्रम	मद का नाम	मद कूट	राशि रूपया (रू लाख में)	जोखिम भार (%)	आर डब्ल्यु ए
(i)	सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक में जमा शेष	411		0	
(ii)	निवेश :			0	
	(क) अनुमोदित प्रतिभूतियां (निम्न में से (ग) के अलावा)	412			
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बॉड	413		20	
	(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के सावधि जमा / जमा प्रमाणपत्र / बॉड	414		100	
	(घ) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/ बॉड / वाणिज्यिक पत्र तथा मिच्युल फंड के युनिट	415		100	
(iii)	चालु परिसंपत्तियां :				
	(क) किराये पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	416		100	
	(ख) अंतर- कंपनी ऋण / जमा	417		100	
	(ग) कंपनी के द्वारा ही धारित जमा राशियों की पूरी जमानत पर ऋण	418		0	
	(घ) स्टॉफ को ऋण	419		0	
	(ङ;) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है.	420		100	
	(च) भुनाए गए / खरीदे गए बिल	421		100	
	(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	422		100	
(iv)	अचल परिसंपत्ति (मूल्यह्रास घटाने के बाद)				
	(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	423		100	
	(ख) परिसर	424		100	
	(ग) फर्निचर और फिक्सचर	425		100	
(v)	अन्य परिसंपत्तियां				
	(क) स्रोत पर काटे गए आयकर (प्रावधान घटाकर)	426		0	
	(ख) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	427		0	
	(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (Due/	428		0	

	इयू) ब्याज			
	(घ) अन्य (स्पष्ट किया जाए)	429		100
	कुल (क)	430	-----	

(ख) तुलनपत्र से इतर मदें

क्रम	मद का नाम	मद कूट	राशि रूपया (रू लाख में)	क्रेडिट रूपांतरण घटक	जोखिम भार (%)	आर डब्ल्यू ए
(i)	वित्तीय तथा अन्य गारंटियां	431		100	100	
(ii)	शेयर / डिबेंचर हामीदारी दायित्व	432		50	100	
(iii)	अंशीक प्रदत्त शेयर/ डिबेंचर	433		100	100	
(iv)	भुनाए/ पुनः भुनाए गए बिल	434		100	100	
(v)	किए गए पट्टा करार जो निष्पादित होने हैं.	435		100	100	
	कुल (ख)	440	-----			
	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां = (क)+(ख)	450	-----			

नोट:

- (1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्यहास या अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों.
- (2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार " शून्य" होगा.
- (3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/ प्रतिभूति जमा/ जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी (Set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है , का समायोजन कर सकती है.
- (4) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) प्रति संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण - जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CICs-ND-SI) के (संपार्श्विकृत उधार और ऋणदायी बाध्यताएं / CBLOs) प्रतिभूतियों में किए गए वित्तीय लेनेदेनों के कारण जो जोखिम प्रतिपक्षी क्रेडिट रिस्क के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन पर जोखिम भार शून्य होगा क्योंकि इनके बाबत यह माना जाता है कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्रति प्रतिपक्ष से हुए जोखिम दैनिक आधार पर पूर्णतः संपार्श्विक प्रतिभूति से अवतरित होते हैं जो केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (CCP) के क्रेडिट रिस्क को सुरक्षा प्रदान करते हैं. तथापि, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण-जमाराशियां न स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी (CICs-ND-SI) द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के पास रखी जमाराशियों/ समपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए जोखिम भार 20% होगा.

भाग - छ

पूंजी अनुपात	समायोजित निवल मालियत * 100 कुल भार जोखिम परिसंपत्तियां	
लेवरेज (Leverage) अनुपात	वाह्य देयता समायोजित निवल मालियत	

नोट : "वाह्य देयताओं" का अर्थ "प्रदत्त पूंजी " तथा "रिजर्व एंव अधिक" को छोड़कर , लिखत को जारी करने की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के अंदर अनिवार्य रूप से ईक्विटी शेयर में बदल दिया गया हो, किंतु सभी प्रकार के कर्ज तथा देयताओं जिनके कर्ज की सभी विशेषताएं हो चाहे वे संमिश्र लिखत या अन्यथा जारी करके निर्मित किए गए हों तथा गारंटियों का मूल्य चाहे वे तुलन पत्र में दिखाई गई हो या नहीं सहित तुलनपत्र में देयता की ओर दिखाई देने वाली सभी देयताएं.

प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरण में आय निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण , अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान , पूंजी पर्याप्तता और ऋण तथा निवेश के संकेन्द्र के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही आंकड़े/ सूचना दी गई है. इन कंपनी के बही खातों तथा अन्य अभिलेखों से ही विवरण का संकलन किया गया है और मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ये सही है.

कंपनी के लिए कंपनी की ओर से

कंपनीका नाम

दिनांक		हस्ताक्षर	
स्थान		नाम	
कंपनी मुहर		पदनाम	

लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट

.....की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों/ एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि के संबंध मेंलिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य अभिलेखों की हमने जांच की है और हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना, हमें दिए गए स्पष्टिकरण , हमें दिखाए गए अभिलेखों की हमारे द्वारा की गयी जांच के अनुसार उपर्युक्त विवरण को भाग क, ख, ग, घ, ड. और च में दर्शाये गए आंकड़े सही है.

दिनांक		लेखा परीक्षक का हस्ताक्षर	
स्थान		नाम	

अनुबंध- III

कंपनी के प्रवर्तकों , अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संबंध में सूचना (कृपया पृष्ठ 2 तथा 3 पर अंकित नोट को देखें)

1	नाम	
2	पदनाम	अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी *
3	नागरिकता	
4	उम्र	
5	कारोबार का पता	
6	आवासिय पता	
7	पैन संख्या	
8	ई मेल	
9	डीन संख्या	
10	शिक्षा/ प्रोफेशनल आर्हता	
11	कारोबार का स्वरूप एवं व्यवसाय	
12	उस कंपनी का / उन कंपनियों के नाम जिसमें अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारण किया.	
13	(i) क्या अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी सहित किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में जुड़ाव था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाराशियां स्वीकारने से प्रतिषिद्ध किया गया था/ अभियोजित किया गया था.	
	(ii) यदि हां तो उस कंपनी का नाम/कंपनियों के नाम बतायें	
14	(i) क्या एक व्यक्ति के रूप में या किसी फर्म/कंपनी के भागीदार/ निदेशक के रूप में आर्थिक अपराध के लिए अभियोजित किए गए/ दोषी पाए गए है.	
	(ii) यदि हां तो उसका ब्योरा दें	
15	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार का (कितने वर्ष का) अनुभव है	
16	कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डिंग	
	(i) शेयरों की संख्या	

(ii)	अंकित मूल्य :	रु.
(iii)	कंपनी की कुल ईक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत है.	
17	उन कंपनियों/ फर्मों एवं स्वामित्व प्रतिष्ठानों के नाम जिनमें इस व्यक्ति के पर्याप्त हित है (कृपया अनुदेशों की मद सं:14 का अवलोकन करें)	
18	उक्त 17 से संबंधित प्रधान बैंकर्स का नाम बतायें	

दिनांक		हस्ताक्षर	
स्थान		नाम	
कंपनी मुहर		पदनाम	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नोट : ऐसे प्रत्येक कार्मिक के संबंध में अलग - अलग जानकारी दी जाए तथा इसके लिए इस फार्मेट की फोटोकॉपी का प्रयोग किया जाए.